

अनौपचारिक रूप से
परामर्शित

पत्र संख्या-6/ब0गै0यो0-01-31/2015गृ0आ0...../

बिहार सरकार
गृह (आरक्षी) विभाग

समा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
बिहार, पटना

द्वारा:- वित्त विभाग

पटना, दिनांक

विषय:- वित्तीय वर्ष 2015-16 में गैर योजना के माँग संख्या 22, मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष 111-रेल पुलिस, उपशीर्ष 0002-ऑडर पुलिस, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता तथा विपत्र कोड N2055001110002 तथा मुख्य शीर्ष 2055-पुलिस, उपमुख्य शीर्ष-00, लघुशीर्ष 109-जिला पुलिस, उपशीर्ष 0001- जिला कार्यकारी दल, विषय शीर्ष 01 01-वेतन, 01 03-जीवन यापन भत्ता तथा विपत्र कोड N2055001090001 के अन्तर्गत संभावित बचत राशि में से मुख्यशीर्ष- 2055-पुलिस, उप मुख्यशीर्ष-00, लघु शीर्ष 001-निदेशन और प्रशासन, उपशीर्ष 0009-प्रतिनियुक्ति अर्द्ध सैनिक बलों पर व्यय, विषय शीर्ष 13 01 कार्यालय व्यय, 13 02-वाहन का ईंधन एवं रख रखाव तथा 28 01-व्यावसायिक एवं विशेष सेवाएँ तथा विपत्र कोड N2055000010009 के अन्तर्गत क्रमशः ₹ 20,00,00,000, ₹ 15,00,00,000 तथा ₹ 15,00,00,000 यानि कुल ₹ 50,00,00,000 (पचास करोड़ रू0) मात्र के पुनर्विनियोग की स्वीकृति के संबंध में।

आदेश:- बिहार वित्तीय नियमावली के नियम-489 के अधीन पुनर्विनियोग स्वीकृत।

अनु0:- अनुसूची

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(आमिर सुबहानी)

सरकार के प्रधान सचिव

ज्ञाप सं0:-6/ब0गै0यो0-01-31/2015गृ0आ0.....पटना, दिनांक 17.02.16

प्रतिलिपि:- कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय, कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा-5), पटना/पुलिस महानिदेशक, बिहार, पटना/आई0टी0 प्रबंधक, गृह विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1185
13.2.16

सरकार के प्रधान सचिव